



Har Ghar Jal  
Jal Jeevan Mission

जल जीवन मिशन हर घर जल

ग्राम कार्ययोजना (वी०ए०पी०)

आर्यावर्त सेवा एवं विकास संस्थान, लखनऊ



Har Ghar Jal  
Jal Jeevan Mission

जल संबंधी सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन सुगमता को बेहतर बनाने में मदद करती है। ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जाती है और डी०डब्ल्यू०एस०एम०को प्रस्तुत किये जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदितका जाती है। आई०एस०ए० द्वारा मार्गदर्शन/सहायता प्रदान किया जाना है।

1. तैयारी की तारीख 20-6-2023 (परिचित ग्रामवासियोंकी संख्या)

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख 22-6-2023

डी०डब्ल्यू०एस०एम० को प्रस्तुत किये जाने की तारीख

2. ग्राम का नाम सोनबरसा

ग्राम पंचायत का नाम सोनबरसा

विकास खण्ड का नाम फरे-51

जनपद का नाम मेहराजगंज

राज्य का नाम उत्तर-प्रदेश

ग्राम जनगणना कोड

यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम

I- ग्राम पंचायत सकल्प

3- ग्राम समुदाय की आकांक्षा 15 संख्या, मवेशी कुड़ों को और 65 संख्या, कपडा धोने/स्नान

करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आहार पर अर्थात् 10 घण्टे निर्धारित

गुणवत्ता वाले एल०पी०सी०डी० जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों को

उपलब्ध कराने के लिये एफ०एच०टी०सी० प्रदान करना।

हम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतर्ग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबन्धन, प्रचालन और

रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें

संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदे जल की व्यवस्था करेंगे और मीठे/साफ जल को बचायेंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी/लागत का 10 प्रतिशत और रख-रखाव लागत के परिगणित

हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ताका प्रमाण पत्र पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस० विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II- ग्राम पंचायत और /या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4- कौन सी समिति ग्राम पंचायत में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबन्धन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

ग्राम पंचायत और/या उप-समिति सोनबरसा

समिति को क्या कहा जाता है ग्राम पंचायत एवं स्वच्छता समिति

समिति के अध्यक्ष का नाम प्रमोद कुमार

लिंग पुरुष

आयु 36 वर्ष

क्र०सं०	संस्था का नाम	लिंग	आयु	जाति	अन्य विवरण
1	प्रमोद कुमार	M	36	SC	अध्यक्ष
2	राधावल्लभनाथक				साधक
3	पुष्पा देवी	F	28	SC	कायाधमक
4	विजू देवी	F	27	SC	साधक
5	ममता	F	24	SC	साधक

6	गुडिया	F	30	OBC	ससफ
7	सबल	M	23	SC	ससफ
8	बबल	M	32	SC	ससफ
9	विजय गुला	M	36	OBC	ससफ
10	गौर	M	24	OBC	ससफ
11	मनोज	M	35	OBC	ससफ
12	डवल	F	34	OBC	ससफ
13	संगीता	F	35	OBC	ससफ
14	सुधा	M	27	SC	ससफ
15	अजय	M	40	OBC	ससफ

### III- सामान्य विवरण

6-	2011 की जनगणना के अनुसार	वर्तमान पंचायत/आगनवाडी रिकार्ड के अनुसार
	जनसंख्या 1550	जनसंख्या 1850
	परिवारों की संख्या 250	परिवारों की संख्या 410
	महिलाओं की संख्या 700	महिलाओं की संख्या 850
	पुरुषों की संख्या 850	पुरुषों की संख्या 1000
	बच्चों की संख्या 1500	बच्चों की संख्या 175
	एफओएचटीओसीओ की संख्या	एफओएचटीओसीओ की संख्या

### 7. जनसंख्या अनुमान

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष वर्तमान जनसंख्या से 18 प्रतिशत वृद्धि

किलोमीटर/दिन केओएलओडीओ अंतिम चरण वर्तमान से 30 वर्ष वर्तमान जनसंख्या में 32 प्रतिशत वृद्धि

किलोमीटर/दिन केओएलओडीओ

8. वर्तमान मवेशी संख्या पशुपालन रिकार्ड 265

9. कृषि फसल पैटर्न खरीफ, रबी

प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना		
धान	✓	
मक्का		
कपास		
गेहूँ		✓
अन्य		

10. औसत जल वर्षा मिमीओ में 12 mm

11. स्थलाकृति समतल, ढलान, आदि समतल

### IV- स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? हां / नहीं ✓

13. ग्राम कार्यगयोजना के साथ मानचित्र संलग्न करें

14. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? हां / नहीं ✓

ग्राम कार्यगयोजना के साथ मानचित्र संलग्न करें

### 14-

क्र. सं.	सार्वजनिक संस्था का नाम	क्या एफओएचटीओसीओ उपलब्ध है? हां/नहीं	क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? हां/नहीं	सेखता गड्डों की उपलब्धता? हां/नहीं

1	कुल	नही	नही	नही
2	आगनवाडी	५	५	५
3	स्वास्थ्य केन्द्र	५	५	५
4	ग्राम पंचायत भवन	५	५	५
5	अन्य			

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता २८५,६५० जनसंख्या दर ६० के०एल०डी० प्रति व्यक्ति

श्वेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता \_\_\_\_\_ के०एल०डी०

श्वेशी कुडो की आवश्यक संख्या \_\_\_\_\_

मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर \_\_\_\_\_ के० एल० डी०

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या दर ६० के०एल०डी० प्रति व्यक्ति

पानी आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गांव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/चकवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति

17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाडियों आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति। नही

18. पानी की आपूर्ति से सम्बन्धित आर्थिक कार्य, स्रोत को मजबूत करनेका इतिवृत्त हा

19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता हा

20. फील्ड परीक्षण किट/वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें \_\_\_\_\_

21. सैनिटी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख

22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/प्रस्तावित पेयजल स्रोतों के पानी की गुणवत्ता. स्रोत का नाम अवस्थिति \_\_\_\_\_

स्रोत	मापदण्ड	तरीका	परिणाम
	गदगी	दृश्य तुलना	
	पीएच	पट्टी रंग तुलना	
	पूर्ण लवणता	टिटीमेटिक विधि	
	पूर्ण क्षारीयता	टिटीमेटिक विधि	
	क्लोराइड	टिटीमेटिक विधि	
	अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	
	फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	
	अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	
	आयरन	दृश्य रंग तुलना	
	नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	
	फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	
	आर्सेनिक हाट स्पॉट में	दृश्य रंग तुलना	

कपड़े धोने/स्नान करने का स्थान

- 23- यह संभावना है कि गाव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने/स्नान करने के लिए या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं

अभिनिर्धारित स्थान का नाम	घरों की संख्या	आबादी
	15	45

स्रोत स्थायित्व

- 24- भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरेवेल रिचार्ज संरचना है? हा/नहीं **हां**
- 25- गंध में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका काया कल्प/मरम्त कार्य किया जाना आवश्यक है।  
गंदे जल का प्रबंधन
- 26- उत्पन्न गंदा जल जल आपूर्ति का 65 प्रतिशत \_\_\_\_\_ कै0एल0डी0 अलग-अलग सोखता गडबों वाले परिवारों की संख्या \_\_\_\_\_  
उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गडबों की आवश्यकता है **75**  
आवश्यक सामुदायिक सोखता गडबों की संख्या **5**  
क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? हा / नहीं **हां**  
यदि हां तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है **हां**  
यदि नहीं तो गंदे जल के प्रबंधन के लिए कौन से अन्य उपाय अपनाये जाने चाहिए \_\_\_\_\_

### III- जल आपूर्ति योजना

- 27- निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ0एच0टी0सी0 प्रदान किए जाएंगे
- \* अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0 के तहत शुरू की गयी योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
  - \* पूर्ण हो चुके आर0 डब्ल्यू0एच0 की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे0जे0एम0 के अनुकूल बनाया जा सके
  - \* निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल / सिंग वाटर/ स्थानीय या घरातलीय जल वाले गावों में एच0वी0एच0
  - \* शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गावों में एच0वी0एच0
  - \* वाटर ग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एच0वी0एच0
  - \* मिनी सौर सर्ज आधारित पी0डब्ल्यू0एच0 जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है।
- 28- अभिनिर्धारित जल स्रोत **समुदाय आधारित** तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना **नियंत्रण एवं भूमि आधारित** इस योजना के लिए

अभिनिर्धारित भूमि को सौंप दी जाएगी

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी०एच०ई०डी०/आर०डब्ल्यू०एस० योजना की लागत **DPR के अन्तर्गत** भारत सरकार का हिस्सा

राज्य सरकार का हिस्सा

ग्राम पंचायत/समुदाय का हिस्सा

अधिकतम 11%

व्यक्तिगत/घरेलू अश्रदान

वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क 50-100/- व्यक्तिगत/घरेलू

मासिक जल आपूर्ति शुल्क/प्रयोक्ता शुल्क 50-100/- कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी०डब्ल्यू०एस०

### III- मेल-जोल

निम्नलिखित तालिका में उन सभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल सम्भव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।

29-

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	सभावित गतिविधिया जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवा वित्त आयोग ✓	ग्राम पंचायत ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, डेरेनेज सिस्टम आदि।	राज्य वित्त
स्वच्छ भारत मिशन एस०बी०एम०-जी० ✓	घजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ✓	ग्रे-वाटर मैनेजमेन्ट, सोखता गडढे व्यक्तिगत/सामुदायिक अपशिष्ट, तलछट तालाब आदि।	ग्रामीण निधि
एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०	ग्रामीण विकास मंत्रालय ✓	प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन एन०आर०एम० घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधिया	अनुभव के लिए VWSC
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम आइग०डब्ल्यू०एम०पी०	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड प्रबंधन/आर०डब्ल्यू०एस० / कृत्रिम पुर्नभरण, जल निकायों का निर्माण / वृद्धि आदि	
जल भण्डारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संसाधन, नदी विभाग और गंगा संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आर०के०वी०वाई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से सम्बन्धित कार्य	
ग्राममन्त्री कृषि सिंचाई योजना पी०एम०के०एस०वाई०	कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्राक्धान, एक्वीफर्स से जल की निकासी को कम करने के लिए	
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन पारिस्थितिकी तंत्र का पुर्नजनन, वाटरशेड विकास आदि।	
ग्राममन्त्री कौशल विकास योजना पी०एम०के०एस०वाई०	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर०डब्ल्यू०एस० योजनाओं के लिए	✓

		आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आदि	✓
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	✓
आकाशी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	धजला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियां	
जिला खनिज विकास निधि डी०एम०ए०एफ०	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियां	
एम०पी०एल०ए०डी०	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एम०ओ०एस०पी०आई०	अंत:ग्राम अवसंरचना	
एम०एल०ए०एल०ए०डी०	राज्य	अंत:ग्राम अवसंरचना	
सर्विदा न के अनुच्छेद 275 1 के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना टी०एस०एस० दानदाता/प्रायोजक	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंत:ग्राम अवसंरचना	
			✓

अध्यक्ष के हस्ताक्षर



पी०एच०ई०डी० / आर०डब्ल्यू०एस० विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

आई०एस०ए० प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर यदि लागू हो

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी०डब्ल्यू०एस०सी०/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि का अध्यक्ष

ग्राम पंचायत सचिव का नाम और फोन नम्बर

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नम्बर

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए 5 महिलाओं के नाम और फोन नम्बर

1 गुडिया 7275447524

2 किन्नु 9305792594

3 ममता 9555985854

4 सुनीता (SC) 9795994097 सुनीता

5 आपरेटर का नाम और फोन नम्बर

सुनीता पुष्पा देवी 9140682143